रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 593] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 27, 2011/कार्तिक 5, 1933

No. 593] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 27, 2011/KARTIKA 5, 1933

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2011

सा.का.नि. 786(अ).—सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003 (2003 का 34) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2004 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित और नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. ये नियम सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) (दूसरा संशोधन) नियम, 2011 कहलाएंगे ।

(2) ये 14 नवम्बर, 2011 से प्रवृत्त होंगे ।

2. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय तथा वितरण का विनियमन) नियम, 2004 में नियम 6 के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

" 7. **पुरानी फिल्मों और टेलीविजन के कार्यक्रमों में स्वास्थ्य स्पॉट्स और स्क्रॉल.**—सिनेमा हॉल अथवा थियेटर, जहां तम्बाकू उत्पादों अथवा इसके सेवन को प्रदर्शित करने वाली कोई भारतीय अथवा विदेशी फिल्म चलाई जा रही है, के मालिकों अथवा प्रबंधकों तथा तम्बाकू उत्पादों अथवा इसके सेवन को प्रदर्शित करने वाले पुराने भारतीय अथवा विदेशी टेलीविजन कार्यक्रम दिखाने वाले प्रसारकों को निम्नलिखित को अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना होगा, अर्थात् :—

(क) फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत में और मध्य में कम से कम तीस सेकण्ड की अवधि के तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य स्पॉट्स अथवा संदेश;

(ख) ऐसे प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन किसी के नीचे सुस्पष्ट स्क्रॉल के रूप में तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी :

बशर्ते कि, तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी स्क्रॉल सुस्पष्ट और पठनीय हो, —

(i) (क) सफेद पृष्टभूमि पर काले रंग के फॉण्ट से लिखी हो;

(ख) तम्बाकू सेवन के धूम्रपान के विभिन्न प्रकार के रूपों के संबंध में "धुम्रपान से कैंसर होता है" अथवा "धुम्रपान जानलेवा है" चेतावनियाँ लिखी हों;

(ग) चबाने वाले तम्बाकू के अन्य प्रकार के धुंआरहित रूपों के लिए "तम्बाकू से कैंसर होता है" अथवा "तम्बाकू जानलेवा है" चेतावनियाँ लिखी हों;

(ii) अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट ऐसी अन्य चेतावनियाँ :

बशर्ते यह और कि, तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनियाँ स्क्रॉल अथवा स्वास्थ्य स्पॉट्स उसी भाषा में होंगे जो फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम में प्रयुक्त की गई हो और डब की गई अथवा उप-शीर्षक वाली फिल्मों अथवा टेलीविजन कार्यक्रमों के मामले में स्क्रॉल अथवा स्पॉट्स डब की गई अथवा उप-शीर्षक वाली भाषा में संचालित किए जाएंगे :

बशर्ते यह भी कि ऐसे टेलीविजन कार्यक्रमों को टेलीविजन पर ऐसे समय पर दिखाने की अनुमति प्रदान की जाए जिस समय अठारह वर्ष से कम आयु के कम से कम दर्शक होने की संभावना हो ।

स्पष्टीकरण-इस नियम के प्रयोजनार्थ,—

(i) सभी फिल्मों, जिन्हें इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाणन प्राप्त हों, को "पुरानी फिल्मों" के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा;

(ii) इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले निर्मित सभी टेलीविजन कार्यक्रमों को "पुराने टेलीविजन कार्यक्रमों" के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा;

(iii) "विदेशी फिल्म" शब्द का आशय सिनेमेटोग्राफ (प्रमाणन) नियमावली, 1983 में यथापरिभाषित "आयातित" से है ।

"8. नई फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों में स्वास्थ्य स्पॉट्स, स्क्रॉल और दावात्याग—

(1) तम्बाकू उत्पादों अथवा इसके उत्पादों को पदर्शित करने वाली सभी नई भारतीय अथवा विदेशी फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रम में निम्नलिखित होगा :

(क) एक सशक्त संपादकीय औचित्य जिसमें टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध प्राधीकारी तथा फिल्मों के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को ऐसे प्रदर्शन की अनिवार्यता के बारे में स्पष्टीकरण दिया गया हो;

(ख) सभी फिल्मों के लिए केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से 'यू/ए' प्रमाणन; और टेलीविजन कार्यक्रमों के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत संबद्ध प्राधिकारी से अनिवार्य अनुमोदन :

बशर्ते कि ऐसे टेलीविजन कार्यक्रमों को टेलीविजन पर ऐसे समय पर दिखाने की अनुमति प्रदान की जाए जिस समय अठारह वर्ष से कम आयु के कम से कम दर्शक होने की संभावना हो ।

(ग) फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत में और मध्य में संबद्ध अभिनेता द्वारा ऐसे उत्पादों के इस्तेमाल से होने वाले कुप्रभावों के संबंध में कम से कम 20 सेकण्ड की अवधि का दावात्याग;

(घ) फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम की शुरुआत में और मध्य में कम से कम तीस सेकण्ड की अवधि के तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य स्पॉट्स अथवा संदेश;

(ङ) ऐसे प्रदर्शन की अवधि के दौरान स्क्रीन के नीचे किसी सुस्पष्ट स्क्रॉल के रूप में तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी :

बशर्ते कि, तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनी स्क्रॉल सुस्पष्ट और पठनीय हो,—

(iii) (क) सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के फॉण्ट से लिखी हो;

(ख) तम्बाकू सेवन के धूम्रपान के विभिन्न प्रकार के रूपों के संबंध में "धूम्रपान से कैंसर होता है" अथवा "धूम्रपान जानलेवा है" चेतावनियां लिखी हों;

(ग) चबाने वाले तम्बाकू के अन्य प्रकार के धुआंरहित रूपों के लिए "तम्बाकू से कैंसर होता है" अथवा "तम्बाकू जानलेवा है" चेतावनियां लिखी हों;

(iv) अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्दिष्ट ऐसी अन्य चेतावनियां :

बशर्ते यह और कि, तम्बाकू रोधी स्वास्थ्य चेतावनियां स्क्रॉल अथवा स्वास्थ्य स्पॉट्स उसी भाषा में होंगे जो फिल्म अथवा टेलीविजन कार्यक्रम में प्रयुक्त की गई हो और डब की गई अथवा उप-शीर्षक वाली फिल्मों अथवा टेलीविजन कार्यक्रमों के मामले में स्क्रॉल अथवा स्पॉट्स डब की गई अथवा उप-शीर्षक वाली भाषा में संचालित किए जाएंगे :

स्पष्टीकरण :—इस नियम के प्रयोजनार्थ—

(i) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

(ii) सभी फिल्मों जिन्हें इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख के बाद केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाणन प्राप्त होते हों, को "नई फिल्मों" के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा ।

(iii) इस अधिसूचना की प्रभावी तारीख के बाद निर्मित सभी टेलीविजन कार्यक्रमों को "नए टेलीविजन कार्यक्रम" के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाएगा;

9. उत्पाद स्थापन, प्रोत्साहक सामग्री एवं पोस्टर :—(1) तम्बाकू उत्पादों की प्रदर्शनी तथा फिल्मों एवं टेलीविजन कार्यक्रमों में उनके इस्तेमाल का विस्तार निम्नलिखित पर नहीं होगा, अर्थात् :—

(क) सिगरेटों या अन्य तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड या किसी तरह के तम्बाकू उत्पाद स्थापन की प्रदर्शनी :

(ख) तम्बाकू उत्पादों तथा तम्बाकू उत्पाद पैकेजों के क्लोज अप्स :

परन्तु किसी नई फिल्म या टेलीविजन कार्यक्रम में ऐसे दृश्यों को सिनेमा या थियेटर या टेलीविजन में दिखाए जाने से पूर्व निर्माता या वितरक या प्रसारक द्वारा हटा दिया जाएगा तथा किसी पुरानी फिल्म या टेलीविजन कार्यक्रम में ऐसे दृश्यों को दिखाए जाने के समय निर्माता या वितरक या प्रसारक द्वारा इन्हें आच्छादित या धुंधला कर दिया जाएगा ।

(2) फिल्म एवं टेलीविजन कार्यक्रमों की प्रोत्साहक सामग्री एवं पोस्टरों में तम्बाकू उत्पादों या किसी भी रूप में उनके इस्तेमाल को नहीं दर्शाया जाएगा ।

10. तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड नाम एवं लोगो का दृश्यांकन या प्रच्छादन :—जहां कहीं तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड नाम या लोगो किसी तरह के प्रिंट या आउटडोर मीडिया में मुद्रित किए जाने वाले चित्रों या किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी रूप के जरिए दिखाए जाने वाले फुटेज के भाग बनते हैं वहां मीडिया के लिए उन्हें दृश्यांकित या आच्छादित करना अनिवार्य होगा जिसमें कि यह सुनिश्चित हो सके कि तम्बाकू उत्पादों के ब्रांड नाम या लोगो दिखाई न दे सिवाय अन्य देशों में आयोजित खेल-कूद, सांस्कृतिक एवं अन्य कार्यक्रमों या गतिविधियों के लाइव या विलंबित लाइव प्रसारण जिन्हें भारत में टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है, के मामलों के ।

[फा. सं. पी. 16012/1/2005-पीएच]

के. देसिराजू, अपर सचिव

टिप्पण :—मूल नियम 25 फरवरी, 2004 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 137 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और इन्हें तत्पश्चात् दिनांक 31 मई, 2005 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 345(अ), दिनांक 30 नवम्बर, 2005 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 698(अ) तथा दिनांक 20 अक्तूबर, 2006 की अधिसूचना सं. 656(अ) के तहत संशोधित किया गया था ।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2011

G.S.R. 786(E).—In exercise of the powers conferred by Section 31 of the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, namely:—

1. (1) These rules may be called the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) (Second Amendment) Rules, 2011.

(2) They shall come into force with effect from the 14th November, 2011.

2. In the Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Rules, 2004, after rule 6, the following rules shall be inserted, namely:—

"7. **Health Spots and Scroll in Old Films and Television Programmes.**—The owner or manager of a cinema hall or theatre where an old Indian or foreign film displaying tobacco products or its use, is being screened, and the broadcaster telecasting old Indian or foreign television programme displaying tobacco products or its use, shall mandatorily screen the following, namely:—

(a) anti-tobacco health spots or messages, of minimum thirty seconds duration each at the beginning and middle of the film or the television programme;

(b) anti-tobacco health warning as a prominent scroll at the bottom of the screen during the period of such display:

Provided that, the anti-tobacco health warning scroll shall be legible and readable,—

(i) (a) with font in black colour on white background;

(b) with the warnings "Smoking causes cancer" or "Smoking kills" for smoking forms of tobacco use;

(c) with the warnings "Tobacco causes cancer" or "Tobacco kills" for chewing and other smokeless forms of tobacco;

(ii) or such other warnings as may be specified by the Central Government from time to time:

Provided further that, the anti-tobacco health warning scrolls or health spots shall be in the same language as used in the film or television programme and in case of dubbed or sub-titled films or television programmes, the scrolls or spots shall be carried in the language of dubbing or sub-title:

Provided also that such television programmes may be permitted to be telecast on television at such timings that are likely to have least viewership from persons below the age of eighteen years.

Explanation.—For the purpose of this rule,—

(i) all films that receive Central Board of Film Certification prior to the effective date of this notification shall be categorized as "old films";

(ii) all television programmes produced prior to coming into effect of this notification shall be categorized as "Old Television Programme";

(iii) the expression "foreign film" implies "Imported" as defined in the Cinematograph (Certification) Rules, 1983.

"8. **Health Spots, Scroll and Disclaimer in New Films and Television Programmes.**—(1) All new Indian or foreign films and television programmes displaying tobacco products or its use shall have,—

(a) a strong editorial justification explaining the necessity of such display to the Central Board of Film Certification for films and the concerned authority under the Ministry of Information and Broadcasting for television programmes;

(b) a 'U/A' Certification, from the Central Board of Film Certification for all films; and necessary approvals from the concerned authority under the Ministry of Information and Broadcasting for television programmes:

Provided that such television programmes may be permited to be telecast on television at such timings as are likely to have least viewership from persons below the age of eighteen years;

(c) a disclaimer, of minimum twenty seconds duration, by the concerned actor regarding the ill effects of the use of such products, in the beginning and middle of the film or television programme;

(d) anti-tobacco health spots or messages, of minimum thirty seconds duration each at the beginning and middle of the film or the television programme;

(e) anti-tobacco health warning as a prominent scroll at the bottom of the screen during the period of such display:

IndiaCode

Provided that, the anti-tobacco health warning scroll shall be legible and readable,—

(i) (a) with font in black colour on white background;

(b) with the warnings "Smoking causes cancer" or "Smoking kills" for smoking forms of tobacco use;

(c) with the warnings "Tobacco causes cancer" or "Tobacco kills" for chewing and other smokeless forms of tobacco;

(ii) or such other warnings as may be specified by the Central Government from time to time:

Provided further that, the anti-tobacco health warning scrolls or health spots shall be in the same language as used in the film or television programme and in case of dubbed or sub-titled films or television programmes, the scrolls or spots shall be carried in the language of dubbing or sub-title.

Explanation.—For the purpose of this rule,—

(i) representatives from Ministry of Health and Family Welfare shall also be represented in the Central Board of Film Certification.

(ii) all films that receive Central Board of Film Certification after the effective date of this notification shall be categorized as "New Films".

(iii) all television programmes produced after the effective date of this notification shall be categorized as "New Television Programme";

9. Product Placement, Promotional materials and Posters.—(1) The display of tobacco products or their use in films and television programmes shall not extend to the following, namely :—

(a) display of the brands of cigarettes or other tobacco products or any form of tobacco product placement;

(b) close ups of tobacco products and tobacco products packages:

Provided that in a new film or television programme such scenes shall be edited by the producer or distributor or broadcaster prior to screening in cinema or theatre or airing on television, and in an old film or television programme such scenes shall be masked or blurred by the producer or distributor or broadcaster while screening

(2) Promotional materials and posters of films and television programmes shall not depict any tobacco products or their usage in any form.

10. Cropping or Masking of Brand names and Logos of Tobacco Products.—Wherever brand names or logos of tobacco products form a part of the pictures to be printed in any form of print or outdoor media or footage to be aired through any form of electronic media, it shall be mandatory for the media to crop or mask the same to ensure that the brand names and logos of the tobacco products are not visible, except in case of live or deferred live telecast of sports, cultural and other events or activities held in other countries being aired on television in India."

[F. No. P-16012/1/2005-PH]

K. DESIRAJU, Addl. Secy.

Note :—The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number G.S.R. 137, dated the 25th February, 2004, and were subsequently amended *vide* notification number G.S.R. 345(E), dated the 31st May, 2005 *vide* number G.S.R. 698(E), dated 30th November, 2005 and *vide* number G.S.R. 656(E), dated 20th October, 2006.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.